डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 दलवीरी बनाम ओमप्रकाश वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 187/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददअ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादीगण को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें। बेज – मुबलिग ––––––– बावत –––––––––– खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.8.25 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत 28.8.25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:26:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. दलवीरी पत्नी बलवीर सिंह उर्फ घीसोली राम जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. चरनसिंह पुत्र हरहेत जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बनयसिंह पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. महाराज सिंह पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. पूरन पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

28/8/25
सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:26:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री व निर्णय दिनांक
187 / 2024	30.09.2024	28.08.2025

उनवान

1. दलवीरी पत्नी बलवीर सिंह उर्फ घीसोली राम जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. चरनसिंह पुत्र हरहेत जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बनयसिंह पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. महाराज सिंह पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. पूरन पुत्र परसराम जाति काछी निवासी अस्तल तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एडवो0 (वादी की ओर से)

श्री श्यामसिंह एडवो0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए एक्ट

—: निर्णय :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विवादित आराजी खसरा नंबर 2688 रकबा 0.18, 2701 रकबा 0.33, 2734 रकबा 0.21, 2783 रकबा 0.28, 3449 रकबा 0.17, 3450 रकबा 0.23, 3451 रकबा 0.23, 3452 रकबा 0.23, [illegible] रकबा 0.20, [illegible] रकबा 0.62, 2573 रकबा 0.57, 2698 रकबा 0.49, 2740 रकबा 0.09, 2765 रकबा 0.41, [illegible]87 रकबा 0.14 हैक्ट0 वाके ग्राम अस्तल तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमा[illegible] वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरजात किए जा[illegible] वाई मीट्स एण्ड बांउण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:26:16 IST
Reason: SelfAttested

स.
28/8/25

Scanned with OKEN Scanner

कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से के कुरे का न्यायानूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग अलग लगान कायम किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 की ओर से श्री श्यामसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण तामील बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति दिनांक 01.08.2025 को दावा में प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने बावत् प्रदान की गई।

वादपत्र में दिनांक 01.08.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार नदबई के पत्रांक 4318 दिनांक 12.08.2025 द्वारा कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवाए गए। पत्रावली बहस कुरा रिपोर्ट हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र/ऐतराज कुर्रा रिपोर्ट पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है –

1. यह कि हल्का पटवारी, गिरदावर तथा गवाहों की उपस्थिति में कुरा नंबर 3 में चरनसिंह को खसरा नंबर 2573/2 रकवा 0.09 हैक्ट देना तय हुआ था तभी गवाह व प्रतिवादीगण ने कुरा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी कॉपी भी पक्षकार को दी गई थी परन्तु हल्का पटवारी, गिरदावर तथा वादिनी ने साज़ कर खसरा नंबर 2573/2 प्रार्थी को न देकर खसरा नंबर 2569/2 दे दिया गया जो कि गलत है। प्रार्थी खसरा नंबर 2573/2 को अपने कुरा नंबर 3 में लेना चाहता है। अतः कुरा रिपोर्ट दिनांक 08.08.2025 को निरस्त कर पुनः मौके व कब्जे के अनुसार पुनः कुरा रिपोर्ट ली जाए।

वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र/ऐतराज कुरा रिपोर्ट पर जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया गया अतः पत्रावली बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई। हमने उभयपपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनी। प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा ऐतराज प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि दावा में प्रारंभिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार नदबई ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सहखातेदारों की सहमति से कुरा रिपोर्ट बनाई है। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वह स्वीकार योग्य नहीं हैं और न ही उन्हें साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रतिवादी/प्रार्थी मौके पर उपस्थित थे अतः ऐतराज कुरा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र मनगढन्त होने से खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरा रिपोर्ट दिनांक 08.08.2025 का [illegible] किया तो पाया कि दिनांक 08.08.2025 को जो कुरा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार [illegible] द्वारा तैयार किए गए उसमें राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पूर्णतः [illegible] की गई है। कुरा रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हैं अतः प्रार्थी की उपस्थिति में ही उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है तदुपरान्त प्रार्थी द्वारा यह आपत्ति पेश की [illegible] है कि उसको गलत खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:26:16 IST
Reason: SelfAttested

28/8/25

Scanned with OKEN Scanner

कुरा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 में दिया गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है। अतः तहसीलदार नदबई द्वारा विवादित आराजी के संबंध में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का ऐतराज कुर्रा/कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण ऐतराज कुर्रा खारिज किया जाकर दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–

–::अन्तिम पर्चा डिक्री::–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 2688 रकबा 0.18, 2701 रकबा 0.33, 2734 रकबा 0.21, 2783 रकबा 0.28, 3449 रकबा 0.17, 3450 रकबा 0.23, 3451 रकबा 0.23, 3452 रकबा 0.23, 3637 रकबा 0.20, 2569 रकबा 0.62, 2573 रकबा 0.57, 2698 रकबा 0.49, 2740 रकबा 0.09, 2765 रकबा 0.41, 2787 रकबा 0.14 हैक्ट0 वाके ग्राम अस्तल तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 08.08.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.8.25 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(न्यायालय की मुद्रा: कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं ... नदबई (भरतपुर) राज.)

28/8/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई
सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:26:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner